राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 118/2015/उदयपुर.

मैसर्स राजकमल कंस्ट्रक्शन, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकाड़िया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 31/वैट/14–15/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24, 55, 58 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 24.12.2013 से आरोपित शास्ति अन्तर्गत धारा 58 रूपये 29,400/– के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है, जिसे व्यवहारी ने इस अपील में विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान अपीलार्थी द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों के पेटे रूपये 67,08,289/– प्राप्त किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.12.2013 को पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 29,400/– का आरोपण किया गया। साथ ही निष्पादित संविदा कार्यों के पेटे अपंजीकृत खरीद की राशि बढ़ाते हुए कर रूपये 40,500/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में, अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 13.11.2014 पारित करते हुए बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर आरोपित शास्ति की पुष्टि की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत अधिकतम रूपये 500/– शास्ति आरोपित की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 29,400/– का आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद पर किये गये करारोपण के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः इस बिन्दु पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस दिये जाने एवं उक्त नोटिस अपीलार्थी पर तामील होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अपंजीकृत खरीद की राशि बढ़ाते हुए किया गया करारोपण भी पूर्णतया उचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु क्रमशः नोटिस दिनांक 21.07.2010, 07.10.2010 एवं 24.12.2013 प्रेषित किये गये हैं, जो अपीलार्थी पर तामील हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन उचित नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित है। आलौच्य अवधि में बिक्री विवरण–प्रपत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में धारा 58 के प्रावधान दिनांक 01.04.2006 से 07.07.2009 तक निम्न प्रकार रहे हैं :–

लगातार.....3

58. Penalty for failure to furnish return. –

Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty,-

w.e.f. 1.4.2006 to 7.7.2009

(i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continuous, but not exceeding in the aggregate twenty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

7. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः अपीलार्थी पर बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में धारा 58(ii) के तहत शास्ति आरोपणीय है। धारा 58(ii) के अनुसार अपीलार्थी पर अधिकतम रूपये 5000/– शास्ति आरोपणीय है। प्रत्येक त्रैमास के लिये रूपये 5000/– शास्ति अनुसार कुल रूपये 20,000/– शास्ति आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रूपये 29,400/– शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः रूपये 20,000/– शास्ति की पुष्टि करते हुए, शेष शास्ति राशि अपास्त की जाती है।

8. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 24.12.2013 में व्यवहारी की अपंजीकृत खरीद राशि में वृद्धि करते हुए कुल कर रूपये 40,500/– का आरोपण भी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील में उक्त बिन्दु को भी विवादित किया गया था, किन्तु उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में कोई विवेचन नहीं किया गया है। अतः इस बिन्दु पर कर बोर्ड के स्तर पर निर्णय दिया जाना उचित नहीं है। अतः इस बिन्दु पर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपंजीकृत खरीद के सम्बन्ध में अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करें।

लगातार.....4

9. परिणामस्वरूप, धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपंजीकृत खरीद में वृद्धि करते हुए किये गये करारोपण के बिन्दु पर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19/12/2016 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज सहित उपस्थित होवें।

10. निर्णय सुनाया गया।

19.10.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य